# उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ का कार्यालय, सरायकेला

## (जिला पंचायत शाखा)

(Phone No- 06597-234177, E-mail dproseraikella@gmail.com)

## :: अति अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना ::

आसन्न नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2018 के निमित अंतिम रूप से तैयार फोटोयुक्त मतदाता सूची का मुद्रण कार्य हेतु विधानसभा निर्वाचन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित दर के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है । इच्छुक निविदाता द्वारा तकनिकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड ( Financial Bid ) दो अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 08.03.2018 के अपराहन् 02.00 बजे तक उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ का कार्यालय (जिला पंचायत शाखा) में जमा किया जा सकता है । प्राप्त निविदा को उसी दिन 03.00 बजे अपराहन् में उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा ।

### –:: निविदा की शर्तें ::–

(क) तकनिकी बीड (Technical Bid) :–

1. निविदादाता को अद्यतन आयकर एवं वाणिज्य कर विवरणी का ब्यौरा समर्पित करना होगा ।
2. निविदादाता को निविदा के साथ 10,000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित राशि तकनिकी बीड के साथ संलग्न करना होगा । जो उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के पदनाम से देय होगा ।
3. निविदा दाता द्वारा व्यवसाय से संबंधित निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
4. तकनिकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं । अन्य शर्त्ते पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है ।
5. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे ।

(ख) वित्तीय बीड ( Financial Bid ) :–

1. निविदादाता द्वारा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तम क्वालिटी का कागज इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा । कटे–फटे एवं अस्पष्ट मुद्रित प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. मतदाता सूची का मुद्रण निर्धारित अवधि में करने संबंधी शपथ पत्र कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व जमा करना होगा । समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अथवा काली सूची में डाला जा सकता है।
3. एल–1 एजेन्सी द्वारा समय पर एवं सही ढंग से कार्य नहीं करने की स्थिति में समय पर कार्य सम्पादित करने के उद्धेश्य से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य एक से अधिक संवेदकों के बीच आवंटित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा ।
4. मतदाता सूची मुद्रित कर जिला पंचायत शाखा, सरायकेला–खरसावाँ में जमा करना होगा । इस हेतु किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।

5. निविदा स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को रदद् करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
6. निविदा खोलते समय निविदाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे ।

26/2/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
-सह-
उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ